न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0प्र0क0—72 / 14</u> <u>संस्था0दि0 07 / 02 / 14</u> फाईलन.233504003452014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध:-

सोनू पिता कोदू परते, उम्र 39 वर्ष, जाति गोंड, पेशा—मजदूरी, नि०ग्राम जीराढाना, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र0)

---- <u>अभियुक्त</u>

<u>—: **निर्णय**ः—</u> (आज दिनांक 15 / 11 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 के तहत् अभियोग है कि आपने नवम्बर 2013 के बाद से लगातार दिनांक 24/01/14 तक आरोपी सोनू परते का घर ग्राम जीराढाना, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुमन जो एक स्त्री है, के रिश्तेदार व नातेदार होते हुये उसके शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की। आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से उससे दहेज की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।
- 2— प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 04/11/16 को अभियुक्त और फरियादी सुमन के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 का अपराध राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त का राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/04/2000 को उसके माँ बाप ने सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी ग्राम जीराढाना के सोनू परते के साथ की थी। शादी के बाद सोनू परते से उससे 2 लड़के और 1 लड़की हुयी। पिछले साल नवम्बर 2013 से ही उसके पित सोनू परते उसे दहेज की मांग करके उसे मारपीट करने लगा। सोनू परते ने उसे बिना बताए बिना उसकी मर्जी से दूसरी पत्नी रख ली है। उसके पित सोनू परते ने उसके समाज की लक्ष्मी नाम की औरत को पत्नी बनाकर रख लिया है। उसने जब उसके पित को इस बात के लिए मना किया तो उसके पित सोनू परते ने गाली गुप्तार कर मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जिससे तंग आकर उसने यह सारी बात उसके भाई हितेश माँ साहोबाई को बतायी और उसके भाई हितेश, जुगनाबाई, सुशीलाबाई के साथ उसके पित सोनू परते की रिपोर्ट की।
- 4— फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 68/14 भा.द.सं धारा—498 ''ए'', 494 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में

लिया गया। दिनांक 01/02/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—''क्या आपने नवम्बर 2013 के बाद से लगातार दिनांक 24/01/14 तक आरोपी सोनू परते का घर ग्राम जीराढाना, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुमन जो एक स्त्री है, के रिश्तेदार व नातेदार होते हुये उसके शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की?

2—'' उक्त दिनांक समय स्थान पर आपने आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से उससे दहेज की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?''

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— <u>विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण</u>

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

अभियोजन साक्षी सुमन (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पति और उसके बीच में खाने को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसमें उसके पति ने गाली गलौच की जिसकी उसने गुस्से में आकर थाना आमला में रिपोर्ट की थी जो उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे शादी की फोटो एवं शादी का कार्ड उसे मांगी थी जो उसने पुलिस को दिया सम्पत्ति पत्रक प्र0पी० 2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर इस गवाह को पक्षविरोधी घोषित करने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में उसने पुलिस को यह बताया था कि उसके पित सोनू परते उसे दहेज क मांग करके उसे मारपीट करने लाये और और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 में उसने यह पुलिस को बताया था उसने उसके पति को इस बात के लिए मना किया तो उसके पति सोनू परते ने गाली गुप्तार कर गाली गलौच कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। साक्षी को को प्र0पी0 1 अ से अ भाग की रिपोर्ट पढकर सुनाये जाने पर साक्षी कहा कि उसने ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखाई पुलिस ने कैसे लिख ली, वह कारण नहीं बता सकती है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी से बिना किसी डर दबाव के स्वैच्छया पूर्वक में राजीनामा कर रही है।

9— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी उसका पित है और वर्तमान में आरोपी सोनू उसके पित के साथ वह अच्छे से रह रही है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका पित उसके बच्चों का और उसका देखभाल अच्छे से कर रहा है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने किसी प्रकार से शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडना नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके दहेज को लेकर किसी प्रकार

से मांग नहीं की। और यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे किसी भी प्रकार से प्रताडित नहीं किया। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित करने तथा फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया, वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा— 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त सोनू को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय / आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0